न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 93/2020

मुकेश कुमार पुत्र छीतरलाल जाति कुम्हार निवासी मूण्डली तह0 मांगरोल जिला बारां

......वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 18.09.2020

निर्णय दिनांक : 31.05.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 462 खसरा नं0 1968/2443 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में स्थित है। जो जमाबंदी सम्वत 2076 में हिस्सा 1/2 वादी के नाम दर्ज है। किन्तु जमाबंदी में सहवन से वादी का नाम मुकेश कुमार के स्थान पर पप्पू दर्ज कर दिया है। जबकि वादी का वास्तविक नाम मुकेश कुमार पुत्र छीतरलाल है। वादी के अन्य दस्तावेजो आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में वादी का नाम मुकेश कुमार पुत्र छीतरलाल ही दर्ज हो रहा है। इसलिए वादी अपना नाम राजस्व रेकार्ड में पप्पू के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र छीतरलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम पप्पू के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र छीतरलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 18.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2021/916 दिनांक 18.10.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम रायथल में स्थित आराजी खसरा नं0 1968/2443 रकबा 1.00 है0 भूमि में वादी का नाम पप्पू पुत्र छीतरलाल हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार दर्ज है। मुताबिक संलग्न दस्तावेजात व साक्ष्य बयानात के अनुसार पप्पू पुत्र छीतरलाल जाति कुम्हार को मुकेश कुमार पुत्र छीतरलाल जाति कुम्हार के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः राजस्व रेकार्ड में पप्पू पुत्र छीतरलाल जाति कुम्हार के स्थान पर पप्पू उर्फ मुकेश कुमार पुत्र छीतरलाल जाति कुम्हार दुरूस्त किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर खाता संख्या 462 खसरा नं0 1968/2443 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम रायथल तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम पप्पू पुत्र छीतरलाल जाति कुम्हार के स्थान पर पप्पू उर्फ मुकेश कुमार पुत्र छीतरलाल जाति कुम्हार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner